पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं अन्य

बनाम

एम/एस आदर्श टेक्सटाइल्स एवं अन्य,

(2014 की सिविल अपील सं. 10707)

3 दिसंबर, 2014

[जगदीश सिंह खेहर और अरुण मिश्रा, जे. जे.]

विद्युत अधिनियम, 2003 - धाराएं 62, 65 एवं 108 - उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999-धारा.12-राज्य सरकार का नीति निर्णय दिनांकित 14.06. 2015-तत्संबंधी पावरलूम बंकरों को फ्लैट रेट पर बिजली की आपूर्ति के सम्बन्ध में क्या विद्युत नियामक आयोग द्वारा एचवी-2 का लाभ उठाने वाले उद्योगों पर लागू किया जा सकता था श्रेणी कनेक्शन- माना गया: नीति, सब्सिडी और जनता के मामले में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम है और आयोग पर बाध्यकारी है- दिनांक 14.06.2006 की नीति का उद्येश्य एचवी-2 उपभोक्ताओं को सब्सिडी-का का लाभ देना कभी नहीं था, का अनुदान सब्सिडी राज्य का विशेषाधिकार होने के कारण यह एचवी-2 उपभोक्ताओं को सब्सिडी जारी करने के लिए राज्य को निर्देश देने के लिए आयोग के लिये खुला नहीं था एस्टाॅपल का ई-सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू नहीं है क्योंकि राज्य सरकार सक्षम

प्राधिकारी ने एचवी-2 उपभोक्ताओं को सब्सिडी बढ़ाने का कोई आश्वासन नहीं दिखा था

प्रशासनिक कानून - वचन विबंध - वचनबंधन बनाने के लिए एक आश्वासन, प्राधिकारी व्यक्ति के पास से आना चाहिए जो इसे बढ़ाने की क्षमता रखता है।

शब्दों और वाक्यांशों:

'बुनाई'- का अर्थ

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए अभिनिर्धारित किया:

यह धाराएं के पढ़ने से स्पष्ट है। धाराएं 62,65 और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 और धारा एस 12 यूपी विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 के निर्वहन मे कार्यों, राज्य आयोग को सार्वजनिक हित से जुड़े नीतिगत मामलों में इस प्रकार निर्देशित किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार इसे लिखित रूप में दे सकती है। ऐसा मामले में राज्य सरकार का निर्णय/निर्देश नीति, सब्सिडी और जनहित अंतिम होगा।[पैरा 25][494-एफ-जी]

2. राज्य के दिनांक 14.6.2006 नीति निर्णय दिनांक 6.10.2006,दिनांक 24.2.2007 और अंतिम दिनांक 1.5.2007,के साथ पढ़े गए निर्णय पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार

का कभसी भी सब्सिडी का लाभ बढ़ाने का इरादा नहीं था। एचवी-2 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए इसने एचवी-2 उपभोक्ताओं की सब्सिडी देने का कोई प्रावधान नहीं किया था। आयोग ने दिनांक 11.07.2006 के आदेश में ही टैरिफा राहत को एलएमवी-2 और एलएमवी-6 उपभोक्ताओं तक सीमित कर दिया है। दिनांक 14-15/19 डी2006 को स्पष्टीकरण जारी करना आयोग के लिए खुला नहीं था, क्योंकि 2003 के अधिनियम की धारा 108 और धारा के साथ पठित धारा 65 के प्रावधानों के तहत सब्सिडी प्रदान करने का मामला स्पष्ट रूप से राज्य सरकार का विशेषाधिकार था। सुधार अधिनियम, 1999 के धारा 12, इसलिए आयोग अपने आप स्वीकार नहीं करन सकता था या राज्य सरकार को सब्सिडी जारी करने का निर्देश दिया एचवी-2 उपभोक्ता और वह भी एकतरफा। [पैरा 26] [495-बी-ई]

3. इसे दिनांक 14.6.2006 के आदेश से हटाया जा सकता है कि राज्य सरकार का इरादा पावरलूम 'बुनकरों' और किसानों तक विस्तारित होने का लाभ था। कपड़ा निर्माण की गतिविधि को आम तौर पर ऐसे कपड़े की बुनाई के रूप में समझाा जाता है और जो व्यक्ति ऐसी पावरलूम गतिविधि में लगा होता है उसे बुनकर के रूप में जाना जाता है। बुनाई का अर्थ हैः करघे पर सूत को जोड़कर एक कपड़ा तैयार करना। इसका मतलब बुनाई के पैटर्न की विधियां बुने हुए कपड़े की संरचना से भी है।[पैरा 28] [495-जी-एच;496-ए-बी]

एसडी कारपेट एन्टरप्राईजेज बनाम भारत संघ (UO/) और अन्य. **(1990) 1 एससीसी 461 : 1989 (2) पूरक एससीआर 417- संदर्भित।**

4. यह आयोग पर निर्भर था एचवी-2 उपभोक्ताओं को आदेश दिनांक 11.7.2006 लागू करते हुए स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 14-15/9/2006 पारित करने से पहले राज्य सरकार से परामर्श करें जब राज्य सरकार ने 6.10.2006,आयोग को पत्र लिखा है उसके बाद इसका कोई औचित्य नहीं था आयोग 14 15/9/2006 को जारी स्पष्टीकरण को याद नहीं करेगा क्योंकि किसी वर्ग या विशेष वर्ग के उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ देना राज्य सरकार का विशेषाधिकार था और सब्सिडी एक रियायत के रूप में लागू नहीं की जा सकती थी।अधिकार का राज्य सरकार के निर्देश आयोग तदनुसार कार्य करने के लिए बाध्य था [पैरा 28][496-बी-ई]

5.1 तत्काल मामले में वचनबंधन का सिद्धांत नहीं है क्योकि राज्य सरकार ने अपने आचरनण से कोई आश्वासन नहीं दिया है तो इस प्रकार ई उद्योगों द्वारा इस पर कार्य करने का कोई सवाल ही नहीं है। राज्य सरकार ने सब्सिडी बढ़ाने का कोई आश्वासन नहीं दिया था और दूसरी ओर 6.10.2006 को एक पत्र लिखकर अपना रूख स्पष्ट कर दिया था और आयोग के स्पष्टीकरण पर आपत्ति जताई थी।.[पैरा 29][496-एफ-एच; 497-बी-डी]

5.2 विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए,जो समझौता किया गया है. राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी कोई उल्लेख नहीं है अन्यथा समझौतों को राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आयोग/निगम के पास राज्य पर बोझ डालने का कोई अधिकार नहीं था जब उसने एचवी-2 उपभोक्ताओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया था। प्राॅमिसरी सस्टोपेल बनाने का आश्वासन अधिकारिता वाले व्यक्ति से आना चाहिए। प्राधिकारी के पास इसे विस्तारित करने की क्षमता है। सब्सिडी के मामले में आयोग और निगम का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जो राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है [पैरा 30](497-सी-जी)

गुजरात राज्य वित्तीय निगम बनाम एमआईएस। Lotus होटल प्रा. लिमिटेड 1983 (3) एससीसी 379; पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम यूपी राज्य। & अन्य. 1979 (2) सेकंड 409 : 1979 (2) एससीआर 641-करने के लिए भेजा।

<u>केस कानून संदर्भ</u>

1989 (2) पूरक। एससीआर 417 पैरा 28 को संदर्भित करता है

1983 (3) एससीसी 379 पैरा 29 को संदर्भित करता है

1979 (2) एससीआर 641 पैरा 30 को संदर्भित करता है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या.2014 का 10707.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सीएमडब्ल्यूपी नंबर 8765/ 2008 में निर्णय और आदेश दिनांकित 23-3-10 से निर्णय एवं आदेश दिनांक 23-03-2010 से।

साथ

सिविल अपील संख्या 10708, 10709, 10710 और 10711 का 2014.

प्रदीप मिश्रा, सूरज सिंह, अजय सिंह मनीष प्रताप सिंह (पहलाद सिंह शर्मा के लिए) अरेधेन्दुमौली कुमार प्रसाद, सुश्री गरिमा। प्रसाद, विनय गर्ग, तन्मय अग्रवाल,उदय सिंह, अधिवक्ता उपस्थित पक्षों के लिए न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

अरुण मिश्रा, जे.

1. सभी विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति प्रदान की गई।

2. अपील में सवाल यह है कि क्या फ्लैट रेट पर पावरलूम बंकरों को बिजली की आपूर्ति के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नीतिगत निर्णय दिनांक 14.6.2006 को यूपी विद्युत नियामक आयोग (इसके बाद

संदर्भित) द्वारा एचवी-2 श्रेणी कनेक्शन का लाभ उठाने वाले उद्योगों पर लागू किया जा सकता था।

3. अपीलों के निपटान के लिए, हम 2008 की एसएलपी (सिविल) संख्या 9869 से उत्पन्न सिविल अपील के तथ्यों पर ध्यान देते हैं। पृष्ठभूमि के तथ्य बताते हैं कि आयोग ने वर्ष 2004-2005 के लिए टैरिफ तय किया, जिसके तहत 5,000 रुपये की छूट दी गई। - यूपी सरकार की नीति के अनुसार प्रति उपभोक्ता एलएमवी-2 और एलएमवी-6 कनेक्शन लेने वाले पावरलूम बंकर दिए गए।

4. एलएमवी-2 एक गैर घरेलू लाइट, पावर और बिजली कनेक्शन है, एलएमवी-6 बिजली कनेक्शन छोटे और मध्यम बिजली का है, जिसमें औद्योगिक/प्रसंस्करण या कृषि-औद्योगिक उद्देश्यों, पावरलूम आदि के लिए 100 एचपी तक का कनेक्टेड लोड है। एचवी -100 एचपी से अधिक के अनुबंधित भार वाले औद्योगिक और अन्य उद्देश्यों के लिए बड़ी और भारी बिजली का उपयोग करने के लिए hv-2 कनेक्शन प्रदान किया जाता है। जिन उद्योगों का भार 100 एचपी से अधिक है, वे टैरिफ एचवी2 के अंतर्गत आते हैं-

5. राज्य सरकार ने प्रबंध निदेशक, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद 'निगम' के रूप में संदर्भित) को दिनांक 14.6.2006 को आदेश जारी किया था। आयोग की राय है कि इसका प्रभाव उसके द्वारा

अनुमोदित दर अनुसूची में बदलाव करना है। बदले में, आयोग ने दिनांक 3.7.2006 को आदेश जारी कर यूपी राज्य में सभी बिजली आपूर्ति उपक्रमों को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.6.2006 के प्रावधानों को लागू करने से रोक दिया।

6. आयोग ने सरकारी आदेश के अनुसार तौर-तरीके तैयार करने का मामला उठाया यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष ने आयोग के समक्ष एक हलफनामा दायर किया जिसमें विद्युत अधिनियम, 2008 की धारा 108 के तहत जारी राज्य सरकार के निर्देश के साथ-साथ कानूनी ढांचे के साथ संगत एक नई योजना प्रदान की गई। हलफनामे में प्रस्तावित योजना में कहा गया है कि इसके बावजूद उपरोक्त आदेश के अनुसार, लागू टैरिफ के अनुसार सामान्य बिलिंग की जाएगी, लेकिन भुगतान सामान्य बिलिंग चक्र पर सरकार के निर्देशों के अनुसार एकत्र किया जाएगा और अग्रिम सब्सिडी सरकार से एक किस्त या अधिकतम दो छमाही किस्तों में एकत्र की जाएगी। .इसके अनुसरण में आयोग ने 11.7.2006 को आदेश पारित किया जिसमें उसने केवल एलएमवी-2 और एलएमवी-6 उपभोक्ताओं के लिए दर निर्धारित की थी। हालाँकि, आयोग ने यह भी राय दी कि राज्य सरकार ने रीड की जगह, करघों की संख्या आदि के आधार पर फ्लैट दर पर वसूली की अनुमति दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उसके द्वारा निर्धारित टैरिफ आदेश की दर अनुसूची में बदलाव का मामला है जो कि

अनुमति नहीं है। राज्य सरकार ने बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 65 के तहत परिकल्पित अग्रिम सब्सिडी भुगतान का अनुपालन भी नहीं किया। मामले से निपटने के दौरान, आयोग ने पाया कि पावरलूम की बिलिंग प्रचलित अनुसूची के अनुसार सख्ती से की जानी चाहिए।

7. यह उल्लेख करना उचित है कि आयोग द्वारा एलएमवी-2 और एलएमवी-6 उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करने के लिए टैरिफ आदेश 2004-2005 जारी किया गया था, इसमें एचवी-2 उपभोक्ताओं को शामिल नहीं किया गया था। आयोग ने अंततः निर्देश दिया कि पावरलूम उपभोक्ताओं की बिलिंग मासिक आधार पर टैरिफ आदेश 2004-2005 की प्रचलित दर अनुसूची के अनुसार सख्ती से की जाएगी। इसने सब्सिडी के संग्रह के संबंध में और निर्देश जारी किए। यह भी निर्देश दिया गया कि पावरलूम उपभोक्ताओं से मासिक आधार पर सरकार के नीति निर्देश के अनुसार भुगतान एकत्र किया जाएगा। इसने यह भी निर्देश दिया कि सरकार को नए कनेक्शन के मामले में पावरलूम उपभोक्ताओं को मुफ्त मीटर प्रदान करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी निर्धारित करनी चाहिए।

8. बाद में, एचवी-2 कनेक्शन का आनंद लेने वाले उद्योगों ने विद्युत नियामक आयोग से यह स्पष्ट करने के लिए संपर्क किया कि पावरलूम उपभोक्ताओं के लिए रियायती बिजली दरों के मामले में आयोग का दिनांक 11.7.2006 का आदेश लाभ के रूप में उन पर भी लागू होगा

या नहीं क्योंकि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उक्त आदेश उन तक नहीं पहुंचाया गया।

9. आयोग ने 14-15/9/2006 को एक आदेश पारित किया कि दिनांक 11.7.2006 का आदेश यथोचित परिवर्तनों के साथ HV-2 पावरलूम उपभोक्ताओं पर भी लागू होगा, चाहे उनका लोड कुछ भी हो। इसने यह भी निर्देश दिया कि सब्सिडी प्रावधान तदनुसार उन पर भी लागू होगा।

10. यूपी सरकार के सचिव ने 6.10.2006 को अध्यक्ष, यूपी राज्य विद्युत नियामक आयोग को पत्र लिखकर उनका ध्यान आयोग के पत्र दिनांक 14/15 सितंबर, 2006 की ओर आकर्षित करते हुए स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को, जिन्हें राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 दिनांक 14.6.2006 के सरकारी आदेश के लाभ के हकदार थे। पावरलूम बंकरों को फ्लैट रेट पर बिजली आपूर्ति की योजना एलएमवी-2 एवं एलएमवी-6 उपभोक्ताओं के लिए बनाई गई है, जिनके लिए पहले भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया था। यूपी सरकार ने एचवी-2 श्रेणी का कनेक्शन लेने वाले उद्योगों के लिए किसी सब्सिडी का प्रावधान नहीं किया है। इसलिए यूपी की वितरण कंपनियां एचवी-2 उपभोक्ताओं को फ्लैट रेट टैरिफ की सुविधा नहीं दे सकीं।

11. उपरोक्त संचार पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया गया, लेकिन आयोग के सचिव ने दिनांक 18.10.2006 के पत्र द्वारा प्रमुख

सचिव, ऊर्जा, उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 14.6.2006 के सरकारी आदेश में संशोधन करने की सलाह दी ताकि सब्सिडी को केवल एलएमवी2 और LMV-6 उपभोक्ता श्रेणी कनेक्शन का लाभ उठाने वाले उद्योगों उपभोक्ता तक सीमित रखा जा सके।

12. 24.2.2007 को मुख्य अभियंता (वाणिज्य), यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वाणिज्यिक सेल ने मुख्य अभियंता (वितरण) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी को लिखा कि वर्तमान टैरिफ एलएमवी -2 और एलएमवी-6 उपभोक्ता पर लागू है। एचवी-2 उपभोक्ताओं को सब्सिडी स्वीकार्य नहीं है।

13. 1.5.2007 को यूपी सरकार के सचिव ने यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को लिखा कि केवल बुनकर उपभोक्ता जो कि-रेट शेड्यूल एलएमवी-2 और एलएमवी-6 के तहत आते हैं उनको बंकरों को बिजली की आपूर्ति के लिये फ्लैट रेट के दायरे में लाया जाएगा।

14. उद्योगों में से एक, मैसर्स हिल्ट्रेक्स इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सहजनी, मगरवारा, जिला उन्नाव ने एचवी-2 कनेक्शन का लाभ उठाते हुए उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ के समक्ष 2007 का डब्ल्यूपी नंबर 2204 (एम/बी) दायर किया। रिट याचिका खारिज कर दी गई. डिवीजन बेंच द्वारा यह माना गया कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी कीमतों को कम रखकर व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की

मदद करने के लिए थी। 14.6.2006 के पहले निर्णय का उद्देश्य बुनकरों को लाभ देना था, जो समाज के कमजोर वर्ग के सदस्य थे, न कि उपभोक्ताओं जैसे याचिकाकर्ताओं को

15. इसके बाद, यूपी विद्युत नियामक आयोग ने एचवी-2 श्रेणी के उपभोक्ताओं को छूट/सब्सिडी वाले पावर लूम फ्लैट रेट टैरिफ के विस्तार के मामले में दिनांक 10.10.2007 को एक पत्र जारी किया, जिसमें लखनऊ बेंच के आदेश दिनांक 16.8.07 का विधिवत संज्ञान लिया गया। उपरोक्त रिट याचिका में प्रस्तुत यह स्पष्ट किया गया कि 2006-2007 के लिए टैरिफ का प्रावधान उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के अनुरूप एचवी-2 पावरलूम उपभोक्ताओं के मामले में लागू नहीं किया जाएगा।

16. इसके बाद, तत्काल मामलों में उपरोक्त प्रतिकूल निर्णयों पर सवाल उठाते हुए एचवी-2 पावरलूम उपभोक्ताओं के लिए लाभ के विस्तार की मांग करते हुए उद्योगों द्वारा रिट याचिकाएं दायर की गईं। 2007 के सीएमडब्ल्यूपी संख्या 32401 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मेसर्स माँ विंद वासिनी इंडस्ट्रीज गोरखपुर और अन्य बनाम पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अन्य के आदेश दिनांक 12.12.2007 द्वारा रिट याचिका को अनुमति दी। उक्त आदेश का पालन सीएमडब्ल्यूपी क्रमांक 8765 ऑफ 2008 मेसर्स आदर्श टेक्सटाइल्स बनाम पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अन्य, और 2008 का

सीएमडब्ल्यूपी नंबर 8763 मेसर्स अमित टेक्सटाइल्स बनाम पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में किया गया है।

17. 2007 के CMWP No.63293 में, मै. विकास टेक्सटाइल कंपनी और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य, हालांकि मेसर्स मां विन्द वासिनी इंडस्ट्रीज और अन्य बनाम पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी और अन्य में निर्णय के बाद, 13.8.2009 को उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया है। कि निगम याचिकाकर्ताओं से दिनांक 11.7.2007 के सरकारी आदेश के अनुसार शुल्क लेगा। याचिकाकर्ता दिनांक 14.6.2006 और 31.3.2007 के सरकारी आदेशों द्वारा प्रदान की गई राहत का हकदार नहीं होगा।

18. दिनांक 13.8.2009 के आदेश से व्यथित होकर, विकास टेक्सटाइल ने 2009 की एसएलपी (सिविल) संख्या 30528 दायर की है और सरकारी आदेश दिनांक 14.6.2006 को लागू करने और प्रतिवादी संख्या 6 (कार्यकारी अभियंता) द्वारा उठाए गए मांग विद्युत वितरण खंड - I, हाथरस, अप्रैल 2007 से दिसंबर 2007 की अवधि के लिए रु. 4,43,904/- के प्रश्न के लिए प्रार्थना की है। उक्त राशि 23.9.2009 को 'विरोध के तहत' जमा की गई थी और उपरोक्त राशि ब्याज सहित वापसी के लिए एक निर्देश मांगा गया है।

19. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। अपीलकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार के दिनांक 14.6.2006 के आदेश में परिलक्षित नीतिगत निर्णय एचवी-2 उपभोक्ताओं पर लागू नहीं था। राज्य सरकार का इरादा किसानों के समान बुनकरों को भी लाभ देने का है। पिछले वर्षों में इसका लाभ एचवी-2 श्रेणी के उद्योगों के बजाय एलएमवी-2 और एलएमवी-6 उपभोक्ताओं को दिया गया था और एचवी-2 उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इस प्रकार, एचवी-2 उद्योगों के लिए टैरिफ तय करना और राज्य सरकार को सब्सिडी जारी करने के लिए बाध्य करना आयोग के लिए खुला नहीं था। सरकार ने 6.10.2006 को अपना रुख स्पष्ट कर दिया था. यह निगम के मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) के एक वितरक को लिखे पत्र दिनांक 24.2.2007 से भी स्पष्ट था। आयोग ने एचवी-2 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ तय करते समय और उसके आधार पर राज्य सरकार को सब्सिडी जारी करने का निर्देश देते समय अपनी शक्तियों से परे काम किया है। लखनऊ पीठ के फैसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और यह उसी उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ पर बाध्यकारी था। लखनऊ खंडपीठ के फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता.आयोग के पास हितबद्ध पक्षों और राज्य सरकार को सुने बिना 14/15 सितंबर, 2006 को एक पक्षीय स्पष्टीकरण पारित करने का अधिकार नहीं था।

20. एचवी-2 कनेक्शन का लाभ उठाने वाले उद्योगों की ओर से यह तर्क दिया गया कि आयोग द्वारा दिनांक 14.6.2006 के आदेश का लाभ ऐसे उद्योगों को उचित रूप से दिया गया था। बाद के आक्षेपित निर्णयों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून के अनुसार है।

21. 14.1.2000 से पहले यूपी राज्य में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 5 के तहत गठित तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली का उत्पादन, वितरण और प्रसारण किया जा रहा था।

22. उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (इसके बाद "सुधार अधिनियम, 1999" के रूप में संदर्भित) अधिनियमित किया गया, जिसने राज्य सरकार को समय-समय पर बिजली के संबंध में नीतिगत मामले पर निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत/सशक्त किया। सुधार अधिनियम, 1999 की धारा 12 में निहित प्रावधानों के अनुसार सब्सिडी। इसे यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "12 राज्य सरकार की शक्तियां। (1) राज्य सरकार, समय-समय पर, बिजली के संबंध में नीतिगत मामले पर और यदि आयोग और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इस अधिनियम के साथ असंगत नहीं होने वाले

निर्देश जारी कर सकती है। कोई प्रश्न नीतिगत मामला है या नहीं, इसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। (2)(ए) राज्य सरकार इसके संबंध में नीति निर्देश जारी करने की हकदार होगी। टैरिफ संरचना को विनियमित और अनुमोदित करते समय आयोग द्वारा समायोजित सब्सिडी के अलावा किसी भी वर्ग या व्यक्तियों के वर्गों या किसी क्षेत्र के संबंध में बिजली की आपूर्ति के लिए दी जाने वाली सब्सिडी:

बशर्ते कि राज्य सरकार लाइसेंसधारी या सब्सिडी के अनुदान से प्रभावित व्यक्ति को दी गई सब्सिडी की सीमा तक मुआवजा देने के लिए राशि का योगदान करेगी।

(बी) खंड (ए) के तहत भुगतान की जाने वाली सब्सिडी की राशि और भुगतान की विधि और समय और वह समय जिसके भीतर राज्य सरकार द्वारा ऐसी राशि का भुगतान किया जाना है, आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा और आयोग ऐसी गणना करेगा विनियमों में प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार राशि।"

23. विद्युत अधिनियम, 2003 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। धारा 62 आयोग को टैरिफ

निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 राज्य सरकार को धारा 62 के तहत राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसी भी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को सब्सिडी देने में सक्षम बनाती है ।

24. 2003 के अधिनियम की धारा 108 राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। आयोग को सार्वजनिक हित से जुड़ी नीति के मामले में ऐसे निर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा जो राज्य सरकार उसे लिखित रूप में दे सकती है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62,65 और 108 यहां पुन: प्रस्तुत की गई हैं:

"धारा 62.(1) उपयुक्त आयोग इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ का निर्धारण करेगा -

एक उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण लाइसेंसधारी को बिजली की आपूर्ति:

बशर्ते कि उपयुक्त आयोग, बिजली की आपूर्ति में कमी के मामले में, एक उत्पादन कंपनी और एक लाइसेंसधारी के बीच या लाइसेंसधारियों के बीच किए गए एक समझौते के अनुसरण में बिजली की

बिक्री या खरीद के लिए टैरिफ की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय कर सकता है। बिजली की उचित कीमतें सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष से अधिक की अवधि नहीं;

बिजली का संचरण;

बिजली का घूमना;

बिजली की खुदरा बिक्री.

बशर्ते कि दो या अधिक वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा एक ही क्षेत्र में बिजली के वितरण के मामले में, उपयुक्त आयोग, वितरण लाइसेंसधारियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, बिजली की खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ की केवल अधिकतम सीमा तय कर सकता है।

(2) उपयुक्त आयोग को टैरिफ के निर्धारण के लिए उत्पादन, पारेषण और वितरण के संबंध में निर्दिष्ट अलग-अलग विवरण प्रस्तुत करने के लिए लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी की आवश्यकता हो सकती है।

(3) उपयुक्त आयोग, इस अधिनियम के तहत टैरिफ का निर्धारण करते समय, बिजली के किसी भी उपभोक्ता को अनुचित प्राथमिकता नहीं दिखाएगा, बल्कि उपभोक्ता के लोड फैक्टर, पावर फैक्टर, वोल्टेज, किसी निर्दिष्ट अवधि के दौरान बिजली की कुल खपत या के अनुसार अंतर कर सकता है। जिस समय आपूर्ति की आवश्यकता है या किसी क्षेत्र की

भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति और वह उद्देश्य जिसके लिए आपूर्ति की आवश्यकता है।

(4) किसी भी टैरिफ या किसी टैरिफ के हिस्से को आमतौर पर किसी भी वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार संशोधित नहीं किया जा सकता है, किसी भी ईंधन अधिभार फार्मूले की शर्तों के तहत स्पष्ट रूप से अनुमत किसी भी बदलाव के संबंध में, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(5) आयोग को लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी से ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है जो टैरिफ और शुल्कों से अपेक्षित राजस्व की गणना के लिए निर्दिष्ट की जा सकती हैं जिन्हें उसे वसूलने की अनुमति है।

(6) यदि कोई लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी इस धारा के तहत निर्धारित टैरिफ से अधिक कीमत या शुल्क वसूलती है, तो अतिरिक्त राशि उस व्यक्ति द्वारा वसूली योग्य होगी जिसने बिना किसी पूर्वाग्रह के बैंक दर के बराबर ब्याज के साथ ऐसी कीमत या शुल्क का भुगतान किया है। लाइसेंसधारी द्वारा वहन किया गया कोई अन्य दायित्व।"

धारा 65। यदि राज्य सरकार को धारा 62 के तहत राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को कोई

सब्सिडी देने की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार, धारा 108 के तहत दिए गए किसी भी निर्देश के बावजूद , राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट तरीके से अग्रिम रूप से, राज्य आयोग द्वारा निर्देशित तरीके से सब्सिडी के अनुदान से प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा देने की राशि भुगतान करेगी, लाइसेंस के लिए या किसी अन्य संबंधित व्यक्ति को लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडीएक शर्त के रूप में :

बशर्ते कि राज्य सरकार का ऐसा कोई निर्देश प्रभावी नहीं होगा यदि भुगतान इस धारा में निहित प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया है और राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ इस संबंध में आयोग द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से लागू होगा।

धारा 108 (1) अपने कार्यों के निर्वहन में, राज्य आयोग को सार्वजनिक हित से जुड़े नीतिगत मामलों में ऐसे निर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा जो राज्य सरकार उसे लिखित रूप में दे सकती है।(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा कोई निर्देश सार्वजनिक हित से जुड़े नीतिगत मामले से संबंधित है, तो उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

25. विद्युत अधिनियम, 2003 और सुधार अधिनियम 1999 के उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि राज्य आयोग को अपने कार्यों के निर्वहन में सार्वजनिक हित से जुड़े नीतिगत मामलों में ऐसे

निर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार कर सकती है। नीति, सब्सिडी और जनहित के मामले में राज्य सरकार का ऐसा निर्णय/निर्देश अंतिम होगा। धारा 65 के तहत यह राज्य सरकार का विशेषाधिकार है कि वह धारा 62 के तहत आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसी भी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को कोई सब्सिडी दे। अधिनियम 2003 की धारा 65 और 108 में निहित प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि किसी भी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को सब्सिडी देना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है और सार्वजनिक हित में जारी किए गए ऐसे अन्य निर्देश आयोग के लिए बाध्यकारी होंगे।

26. जब हम राज्य सरकार के दिनांक 14.6.2006 के नीतिगत निर्णय, दिनांक 6.10.2006, दिनांक 24.2.2007 और अंतिम दिनांक 1.5.2007 के साथ पढ़े गए निर्णय पर विचार करते हैं, तो राज्य सरकार ने एचवी2 श्रेणी के उपभोक्ताया को सब्सिडी का लाभ देने का कभी इरादा नहीं किया था। इसने एचवी-2 उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का कोई प्रावधान नहीं किया था। आयोग ने दिनांक 11.7.2006 के आदेश में ही टैरिफ राहत को एलएमवी-2 और एलएमवी-6 उपभोक्ताओं तक सीमित कर दिया है। दिनांक 14-15/9/2006 को स्पष्टीकरण जारी करना आयोग के लिए खुला नहीं था, क्योंकि 2003 के अधिनियम की धारा 108 और धारा 12 के साथ पठित धारा 65 के प्रावधानों के तहत सब्सिडी प्रदान करने का

मामला स्पष्ट रूप से राज्य सरकार का विशेषाधिकार था। इसलिए आयोग स्वयं स्वीकार नहीं कर सकता था, या राज्य सरकार को एचवी-2 उपभोक्ताओं को सब्सिडी जारी करने का निर्देश नहीं दे सकता था और वह भी एकतरफा।

27. जब हम दिनांक 14.6.2006 के आदेश को पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार ने "किसानों के लिए फ्लैट रेट पर पावरलूम बंकरों" को बिजली की आपूर्ति की मंजूरी दे दी है। इसमें 60 इंच रीड स्पेस वाले लूम के लिए टैरिफ 65/- रुपये प्रति लूम तय किया गया है और यह माना जाएगा कि लूम का लोड 0.5 एचपी है और 60 इंच से अधिक रीड स्पेस वाले लूम के लिए 130/- रुपये तय किया गया है। प्रति माह शुल्क लिया जाएगा और यह माना जाएगा कि करघे का भार 1 एचपी है। शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त मशीनों पर 130 रुपये/एचपी/माह का शुल्क लिया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में 75/एचपी/माह का शुल्क लिया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि नए मीटर का खर्च उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाएगा।

28. दिनांक 14.6.2006 के आदेश से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य सरकार का इरादा पावरलूम 'बुनकरों' जैसे किसानों को भी लाभ देना था। कपड़ा निर्माण की गतिविधि को आम तौर पर ऐसे कपड़े की बुनाई के रूप में समझा जाता है और जो व्यक्ति ऐसी पावरलूम

गतिविधि में लगा होता है उसे बुनकर के रूप में जाना जाता है। बुनाई का अर्थ है: करघे पर सूत को आपस में जोड़कर कपड़ा बनाना। इसका मतलब बुनाई के पैटर्न की विधि या बुने हुए कपड़े की संरचना भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने ईएस डी कार्पेट एंटरप्राइजेज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (यूओआई) और अन्य (1990) 1 एससीसी 461 में देखा था। इस प्रकार, राज्य सरकार का कभी एचवी-2 उद्योगों जैसे बड़े उद्योगों को लाभ देने का इरादा नहीं है। इन परिस्थितियों में, एचवी-2 उपभोक्ताओं पर अपना आदेश दिनांक 11.7.2006 लागू करते समय दिनांक 14-15/9/2006 को स्पष्टीकरण आदेश पारित करने से पहले राज्य सरकार से परामर्श करना आयोग का दायित्व था। जब राज्य सरकार ने 6.10.2006 को आयोग को लिखा था, उसके बाद आयोग के लिए 14-15/9/2006 को जारी स्पष्टीकरण को वापस न लेने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि इसका लाभ देना राज्य सरकार का विशेषाधिकार था। किसी वर्ग या विशेष वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी और सब्सिडी एक रियायत होने के कारण इसे अधिकार के रूप में लागू नहीं किया जा सकता था। आयोग राज्य सरकार के ऐसे निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य था।

29. यह दलील कि राज्य एचवी-2 उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ देने के लिए प्रॉमिसरी एस्टॉपेल के सिद्धांत से बाध्य है, भी योग्यता से रहित है। यह न्यायालय ने गुजरात राज्य वित्तीय निगम बनाम मैसर्स

लोटस होटल्स प्रा.लिमिटेड_[1983 (3) एससीसी 379] में मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम यूपी राज्य और अन्य का हवाला दिया था ।

इसलिए, प्रॉमिसरी एस्टोपेल का सच्चा सिद्धांत यह प्रतीत होता है कि जहां एक पक्ष ने अपने शब्दों या आचरण से दूसरे को एक स्पष्ट और स्पष्ट वादा किया है जिसका उद्देश्य कानूनी संबंध बनाना या भविष्य में उत्पन्न होने वाले कानूनी संबंध को प्रभावित करना है, यह जानते हुए या यह इरादा रखते हुए कि जिस दूसरे पक्ष से वादा किया गया है, उस पर अमल किया जाएगा और वास्तव में दूसरे पक्ष ने उस पर अमल किया है, तो वादा उसे करने वाले पक्ष पर बाध्यकारी होगा और वह ऐसा करने का हकदार नहीं होगा। इस पर वापस लौटें, यदि पार्टियों के बीच हुए लेन-देन को ध्यान में रखते हुए उसे ऐसा करने की अनुमति देना असमान होगा, और यह इस बात पर ध्यान दिए बिना होगा कि पार्टियों के बीच पहले से कोई संबंध है या नहीं।

उपरोक्त सिद्धांत इस मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि राज्य सरकार ने अपने आचरण से कोई आश्वासन नहीं दिया है, इस प्रकार उद्योगों द्वारा इस पर कार्य करने का कोई सवाल ही नहीं है। राज्य सरकार ने सब्सिडी बढ़ाने का कोई आश्वासन नहीं दिया था और दूसरी ओर, 6.10.2006 को

एक पत्र लिखकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया था और आयोग के स्पष्टीकरण पर आपत्ति जताई थी।

30. आयोग द्वारा स्पष्टीकरण जारी होने के बाद विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किए गए समझौतों पर निर्भरता भी उतनी ही व्यर्थ है। आयोग द्वारा जारी निर्देश के आधार पर ही उपभोक्ताओं द्वारा निगम के साथ उक्त अनुबंध किया गया है. हालाँकि, समझौते के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का कोई उल्लेख नहीं है। एकमात्र शर्त यह है कि आपूर्ति आयोग द्वारा निर्धारित दर पर की जाएगी। इस प्रकार, यह समझौता सब्सिडी के प्रश्न से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है।अन्यथा भी समझौतों को राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आयोग/निगम के पास राज्य पर सब्सिडी का बोझ डालने का कोई अधिकार नहीं था जब उसने एचवी-2 उपभोक्ताओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया था। यह एक स्थापित प्रस्ताव है कि प्रॉमिसरी एस्टोपेल बनाने का आश्वासन उस प्राधिकारी व्यक्ति से आना चाहिए जिसके पास इसे बढ़ाने की क्षमता है। सब्सिडी के मामले में आयोग और निगम का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जो राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है।

31. उपरोक्त कारणों से, हम पाते हैं कि एचवी-2 उपभोक्ताओं को दिनांक 14.6.2006 के आदेश का लाभ देते समय इलाहाबाद उच्च

न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को सही नहीं कहा जा सकता है। अप्रैल, 2007 से दिसंबर, 2007 की अवधि के लिए विकास टेक्सटाइल्स के मामले में उठाई गई मांग भी उचित थी। उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर, एसएलपी (सी) संख्या 29322/10, 9869/2008, 29320/2010 और 29324/2010 से उत्पन्न अपील की अनुमति दी जाती है और एसएलपी (सी) संख्या 30528/2009 से उत्पन्न अपील खारिज कर दी जाती है। पार्टियाँ अपना खर्च स्वयं वहन करें।

कल्पना के.त्रिपाठी

अपीलें निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक सौरव (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगेे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।